मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 5/2/2006/10–3 भोपाल,दिनांक 29 अगस्त 2006

आदेश

विषयः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत गैर वानिकी उपयोग में वन भूमि के व्यपवर्तन के अधिकार सौपने विषयक।

1/ भारत शासन के ज्ञाप क्रमांक 11–9/98–एफसी दिनांक 3–10–05 के द्वारा राज्य शासन को कार्य के लिए एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यपवर्तन के ऐसे प्रकरण जो – स्कूल, चिकित्सालय/अस्पताल, विद्युत एवं संचार लाईन, पीने के पानी की व्यवस्था, वाटर/रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रकचर, छोटी सिंचाई नहरें, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत, कुशलता उन्नयन/ व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, विद्युत सब स्टेशन, संचार पोस्ट, गृह मंत्रालय, भारत शासन द्वारा चिन्हांकित संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्थापना जैसे कि पुलिस स्टेशन/ आउटपोस्ट/ वाच टावर इत्यादि से संबंधित हैं, बाबत एक हेक्टेयर से कम वन भूमि के व्यप्रवर्तन के अधिकार इस शर्त के साथ प्रदत्त किए गए हैं कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त कर निर्णय लिया जाएगा।

2/ पेरा 1 में उल्लेखित कार्यो के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक की शक्ति क्षेत्रीय वन संरक्षक को प्रत्यायोजित की जाती हैं।

(रतन पुरवार)
सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ0क0एफ 5–2/20006/10–3 भोपाल, दिनांक अगस्त 2006

प्रतिलिपिः

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
2. समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक, मध्यप्रदेश
4. समस्त क्षेत्रीय वनमंडलाधिकारी, मध्यप्रदेश

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग